

2023/19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/23	212 RTA	नीमखेडा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नारायणलाल	बनाम	धनरूप वर्ग.	
वकील :- अरविन्द प्रताप सिंह	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

21/2/23

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम नीमखेडा तह0 छबड़ा के खाता संख्या 75 के खसरा नं0 120/1 रकबा 2 बीघा 03 बीस्वा, खसरा नं. 183/1 रकबा 04 बीस्वा, खसरा नं. 203 रकबा 11 बीस्वा, खसरा नं. 336 रकबा 17 बीस्वा, खसरा नं. 378/1 रकबा 02 बीघा 04 बीस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 19 बीस्वा भूमि पर मौके एवं रिकार्ड की आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु, अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी का रहन, दान, बेचान आदि न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 13.03.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

13/3/23

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम नीमखेडा तह0 छबड़ा के खाता संख्या 75 के खसरा नं0 120/1 रकबा 2 बीघा 03 बीस्वा, खसरा नं. 183/1 रकबा 04 बीस्वा, खसरा नं. 203 रकबा 11 बीस्वा, खसरा नं. 336 रकबा 17 बीस्वा, खसरा नं. 378/1 रकबा 02 बीघा 04 बीस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 19 बीस्वा भूमि पर मौके एवं रिकार्ड की आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु, अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी का रहन, दान, बेचान आदि न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 13.03.2023 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

11/7/23

पत्रावली MRC केमो के वाद पूर्ववत स्थिति में राज पेशा हुई। वकील प्रार्थी उप0 प्रतिवादी लक 1 व 2 की अटक तकिल सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी गणों की तलबी हेतु पत्रावली लक्ष्मी पत्रे का तलबना पेश करें। पूर्व के जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पथावत रखी जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी तलबना दिनांक 29/8/23 को पेश हो।



कार्यवाही एवं आदेश

विवि

दिनांक 5.10.23 पत्रावली पूर्व के विपत त्रिवि पर आज पेशा हुई। कमील वादी उपर/ प्रतिवादी गणों की तलबी नहीं हुई है। पुनः सही पते का तलवाना पेशा करे। पूर्व के जारी अध्यापी निवेदनासु आगामी पेशी तक प्रभावत रहेगी। पत्रावली वाले पुनः तलबी/ तलवाना दिनांक 23.11.23 को पेश हो।

[Handwritten signature]

18.1.24 न्यायाधीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 14.3.24 को पेश हो।

[Signature]
सिडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

27.2.24 न्यायाधीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 20.4.24 को पेश हो।

[Signature]
सिडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

3.4.24 न्यायाधीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 22.5.24 को पेश हो।

[Signature]
सिडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

22.5.24 पत्रावली पेशा हुई। कमील प्राधी उपर/ प्रतिवादी उक्त 10.5 की तलबी हेतु सही पते का रि. 0. 10 तलवाना आज ही पेशा करे। पूर्व के जारी अध्यापी आदेश प्रभावत। पत्रावली वाले तलबी दिनांक 10.7.24 को पेश हो।

[Handwritten signature]

10.7.24 पत्रावली पेशा हुई। कमील प्राधी उपर/ कमील प्राधी प्राधीना पत्रा को चम्पना नहीं चाहते हैं। Not Press करना चाहते हैं। प्रकरण Not Press के खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशा सुधार होकर वाड तालीन अध्यापी के साखिल सुधार हो।

Not Press
[Handwritten signature]